**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न. संख्या : 2143**

**उत्तर देने की तारीखः 12**.0**5**.2016

**साक्षरता दर का आकलन करने की प्रक्रियाविधि**

**2143. श्री पी॰ एल॰ पुनियाः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में साक्षरता दर का आकलन करने के लिए किस प्रक्रियाविधि का प्रयोग किया जाता है;

(ख) क्या साक्षरता दर का आकलन करने हेतु भारत तथा यूनेस्को द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली प्रक्रियाविधि के बीच कोई अंतर है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनगणना कर्मी साक्षरता संबंधी आंकड़े एकत्रित करते समय किसी भाषा विशेष में किसी व्यक्ति की पढ़ने तथा बोलने की क्षमता का आकलन कैसे करते हैं; और

(घ) क्या सरकार भारत में साक्षरता दर का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली प्रक्रियाविधि को पुनर्संरचित करने की मंशा रखती है?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्री

**(**श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): भारत-जनगणना में अपनाई गई साक्षरता की परिभाषा के अनुसार, 7 वर्ष और इससे अधिक आयु का कोई भी व्‍यक्‍ति जो किसी भी भाषा में समझने के साथ-साथ पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना जाएगा। कोई व्‍यक्‍ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता है, साक्षर नहीं है। यह आवश्‍यक नहीं है कि साक्षर माने जाने के लिए व्‍यक्‍ति ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्‍त की हो अथवा कोई न्‍यनूतम शैक्षिक कक्षा उत्‍तीर्ण की हो। प्रौढ़ साक्षरता कक्षाओं अथवा किसी अनौपचारिक शैक्षिक पद्धति के माध्‍यम से भी साक्षरता प्राप्‍त की जा सकती है। वे व्‍यक्‍ति जो दृष्‍टिबाधित हैं और ब्रेल में पढ़ सकते हैं उन्‍हें साक्षर माना जाएगा। इसके अतिरिक्‍त, 6 वर्ष या कम आयु के सभी बच्‍चों की निरक्षरों के रूप में गणना की जाती है, भले ही वे स्‍कूल में जा रहे हों और उन्‍होंने पढ़ना और लिखना सीख लिया हो।

साक्षरता दर को 7 वर्ष और इससे अधिक की आयु वर्ग जनसंख्‍या में साक्षरों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है, इसका गणितीय सूत्र इस प्रकार है:-

 साक्षरों की संख्‍या

साक्षरता दर = -------------------------------------------------------------$×$100

 7 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग की जनसंख्‍या

(ख): यूनेस्‍को का सांख्‍यिकी संस्‍थान (यूआईएस) अंतर्राष्‍ट्रीय साक्षरता के बारे में आंकड़े प्रसारित करता है। यूआईएस के जरिए प्राप्‍त किए गए आंकड़ों में भौगोलिक क्षेत्र (राष्‍ट्रीय, शहरी और ग्रामीण) आयु वर्ग (पांच वर्ष आयु वर्ग और आयु ज्ञात नहीं) और लिंग (कुल, पुरुष और महिला) के अनुसार 10 वर्ष और इससे अधिक आयु की जनंसख्‍या में साक्षरता की स्‍थिति (कुल, साक्षर, निरक्षर और निर्दिष्‍ट नहीं किए गए) के आधार पर जनसंख्‍या के आंकड़े शामिल होते हैं। साक्षरता संबंधी आंकड़े राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या और परिवार जनगणना, राष्‍ट्रीय परिवार सर्वेक्षण अथवा अंतर्राष्‍ट्रीय परिवार सर्वेक्षणों के माध्‍यम से एकत्र किए जाते हैं। यूआईएस, किसी लक्षित आयु वर्ग और महिला अथवा पुरुषों के संबंध में साक्षरता/निरक्षरता की गणना और साक्षर/निरक्षर जनंसख्‍या की गणना करने के लिए जिस पद्धति का उपयोग करता है, वह निम्‍नानुसार है:

1. **साक्षरता और निरक्षरता दरों का निर्धारण: चरण 1:** प्रत्‍येक संबंधित आयु वर्ग के लिए महिला अथवा पुरुष साक्षरता और निरक्षरता दरों की गणना सीधे यूआईएस को प्रस्‍तुत किए गए राष्‍ट्रीय आंकड़ों से की जाती है जो निम्‍नानुसार है: i) महिला अथवा पुरुष साक्षरता दर = (महिला अथवा पुरुष साक्षरों की संख्‍या/ महिला अथवा पुरुष कुल जनसंख्‍या)\*100 ii) महिला अथवा पुरुषों की निरक्षरता दर= (निरक्षर महिलाओं अथवा पुरुषों की संख्‍या/महिलाओं अथवा पुरुषों की कुल संख्‍या)\* 100
2. **साक्षर और निरक्षर जनसंख्‍या का निर्धारण: चरण-2:** साक्षर और निरक्षर जनसंख्‍या के आंकड़े प्राप्‍त करने के लिए उपर्युक्‍त चरण-1 में आकलित साक्षरता और निरक्षरता दरों को प्रत्‍येक आयु वर्ग के लिए संयुक्‍त राष्‍ट्र जनसंख्‍या डिवीज़न (यूएनपीडी) के जनसंख्‍या अनुमानों पर नीचे दिए गए अनुसार लागू किया जाता है:-

1. महिला अथवा पुरुष और आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्‍या= महिला अथवा पुरुष और आयु वर्ग की साक्षरता दर\* आयु वर्ग के लिए यूएन जनसंख्‍या

2. महिला अथवा पुरुष और आयु वर्ग में निरक्षर जनसंख्‍या= महिला अथवा पुरुष और आयु वर्ग की निरक्षरता दर\* आयु वर्ग की यूएन जनसंख्‍या

1. **साक्षरों और निरक्षरों की कुल संख्‍या का समायोजन: चरण-3:** प्रत्‍येक संबंधित आयु समूहों के लिए नए योग, साक्षर पुरुषों और महिलाओं की संख्‍या पर साक्षरता तथा निरक्षरता दर को अलग-अलग लागू करने से प्राप्‍त होने वाली साक्षर तथा निरक्षर पुरुषों और महिलाओं की संख्‍या उपरोक्‍त तरीके से परिकलित साक्षरों और निरक्षरों के कुल नए योग के बराबर नहीं होगी। इस समस्‍या के समाधान के लिए, साक्षरों और निरक्षरों के बुनियादी कुल योग में साक्षर तथा निरक्षर महिलाओं की नए कुल योग और इसी प्रकार पुरुषों के नए कुल योग को जोड़कर नए योग की गणना करके नीचे दिए गए अनुसार समायोजित करना होगा।

i) आयु वर्ग में साक्षरों की संख्‍या =आयु वर्ग में साक्षर पुरुषों की नई संख्‍या+ आयु वर्ग में साक्षर महिलाओं की नई जनसंख्‍या

ii) आयु वर्ग में निरक्षरों की कुल संख्‍या = आयु वर्ग में निरक्षर पुरुषों की नई संख्‍या+ आयु वर्ग में निरक्षर महिलाओं की नई संख्‍या

(ग): दशवार्षिक जनगणनाओं में आंकडों का एकत्रीकरण उत्‍तरदाता आधारित होता है। जनगणना कर्मी अर्थात् परिगणक भारतीय जनगणना में उपयोग की जा रही पद्धति के अनुसार परिवारों के उत्‍तरदाताओं से 7 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के सभी व्‍यक्‍तियों के संबंध में साक्षरता स्‍थिति (साक्षर/निरक्षर) के बारे में आंकड़े एकत्र करते हैं। यदि किसी व्‍यक्‍ति के पढ़ने या लिखने की योगयता के बारे में कोई संदेह होता है तो परिगणक अनुदेश नियमावली में छपी सामग्री के किसी भाग को पढ़वाकर (बशर्ते कि व्‍यक्‍ति, नियमावली में उपयोग की जा रही भाषा से परिचित हो) इसका पता लगा सकता है और इसी प्रकार, लिखने के लिए, उसे एक साधारण वाक्‍य लिखना आना चाहिए। केवल किसी व्‍यक्‍ति को अपना नाम लिख लेना उस व्‍यक्‍ति के बोध सहित लिखने के योग्‍य होने के लिए पर्याप्‍त नहीं है। यदि कोई व्‍यक्‍ति ऐसी किसी अन्‍य भाषा में साक्षर होने का दावा करता है जिससे परिगणक परिचित नहीं है, तो उत्‍तरदाता के कथन को सही माना जाएगा। परिवार के अन्‍य सदस्‍य भी गणना किए जा रहे व्‍यक्‍तियों की साक्षरता का सत्‍यापन कर सकते हैं।

(घ): वर्तमान में, जनगणना में साक्षरता संबंधी आंकड़ों के संग्रहण अथवा साक्षरता दर की गणना की प्रक्रिया-विधि में परिवर्तन करने का ऐसा कोई प्रस्‍ताव या मांग नहीं है।

\*\*\*\*\*\*\*